

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन, (बूंदी)
जिला - बूंदी
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/22445483633
दिनांक: 30-05-2022
आवेदक का आधार नम्बर: 573760621763
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या: 4804383818

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री शिमला कुमारी पुत्र/पुत्री श्री सत्यनारायण, माता का नाम - श्रीमती गीता बाई, गांव/नागर कमोन्नर, रडी, केशोराय पाटन, बूंदी जिला/डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा आदेश 1962, संविधान (पोंडिचेरी) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश 1964, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री शिमला कुमारी गांव/नागर कमोन्नर, रडी, केशोराय पाटन, बूंदी जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ बूंदी होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्वित्त ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 220462120272

उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन, (बूंदी)

Signature valid

Digitally signed by Balbir Singh
Date: 2022.05.30 17:42:51
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

